NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 15.5.2025

Page No. 6, Size:(9.35)cms X (7.78)cms.

हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपितों के घर की महिलाओं की भूमिका की भी होगी जांच

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल

- एनएचआरसी की टीम पहुंची भोपाल, पुलिस कार्रवाई पर जताया असंतोष
- कहा, क्लब के कमरे तोड़ने के पहले फोरेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए

भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ सुनियोजित दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू कर दी है। आयोग की टीम प्रियंग कानूनगो के नेतृत्व में बुधवार को भोपाल पहुंची और पुलिस से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपित फरहान खान की बहन जोया खान ने अपने मकान में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराया। यह बात सामने आने के बाद सभी आरोपितों के घरों की महिलाओं की भी इस प्रकरण में भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

कानूनगो ने लव जिहाद का अड्डा बने क्लब 90 (रेस्टोरेंट) पर हुई कार्रवाई पर संदेह जताया। उन्होंने पूछा कि उसके छह कमरों को तोड़ने से पहले फोरेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए गए। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। समझा जा रहा है कि क्लब 90 के संचालन में शामिल लोग गिरोह को संरक्षण दे रहे थे। नगर निगम से रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति लेकर क्लब 90 में गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था, जिसे अवैध रूप से बने छह कमरों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। कानूनगो ने कहा कि शारिक मछली नामक व्यक्ति की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अपराध में प्रयोग किए गए वाहनों को जब्त करने और मकानों को सीज करने की भी सिफारिश की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फाइल

इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। फैजान खान ने राहुल नाम बताकर युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। युवती पर मतांतरण का दबाव भी बनाया गया। खजराना थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

ORISSA POST, Bhubaneswar, 15.5.2025
Page No. 3, Size:(15.52)cms X (4.88)cms.

NHRC seeks ATR from Odisha, Jharkhand on tribal issues

AGENCIES

Kendrapara/Bhubaneswar, May 14: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action-taken report (ATR) from the Chief Secretaries of Odisha and Jharkhand regarding issues of displacement, tribal land alienation, deforestation, and the overall impact on tribal populations caused by prolonged inaction and negligence by state authorities.

While hearing a plea filed by human rights activist Radhakanta Tripathy, the commission Tuesday directed the authorities to submit the ATR within 15 days.

In his petition, Tripathy highlighted the severe and long-standing impact of tribal land alienation in both states, affecting more than one lakh tribal individuals.

He brought attention to systemic exploitation through manipulation of land records, widespread deforestation, and mass displacement resulting from development projects. These factors, he argued, have deprived tribal communities of their primary livelihoods, cultural identity, and legal land rights.

Tripathy urged the commission to intervene by investigating the root causes of land alienation, enforcing protective policies, and ensuring meaningful rehabilitation for the affected communities.

In its observations, the NHRC stated, "The commission is of the considered view that the allegations levelled in the complaint constitute serious violations of the human rights of the victims."

The petitioner also called upon the NHRC to conduct a comprehensive survey and research, and to provide recommendations to the government on the critical issues faced by internally displaced persons due to internal conflicts, wildlife sanctuaries, and protected areas.

Furthermore, Tripathy urged the commission to advocate for the enactment of a national law addressing displacement and tribal land alienation, covering all categories of displacements, and ensuring the implementation of tribal welfare policies across India.

कालेज की लड़कियों से दुष्कर्म का माामला, पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

मानवाधिकार आयोग की टीम दो दिन तक करेगी पड़ताल

पत्रिका
प्रेम के नाम देह का खेल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. राजधानी में लड़कियों के यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के के हाई-प्रोफाइल मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम भोपाल में है।

आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि भोपाल के कॉलेजों में हिंदू लड़कियों के साथ रैगिंग के नाम पर यौन शोषण किया जा रहा है। उनका वीडियो बनाया जाता था और उन्हें ड्रग्स दी जाती थीं। इन वीडियो के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल कर इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह गंभीर शिकायत है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम भोपाल में है, जो अगले दो दिनों तक मामले की जांच करेगी। कानूनगो ने बताया कि अब तक 7-8 पीड़िता सामने आ चुकी हैं, लेकिन हमें अंदेशा है कि इसमें संख्या 12 से 24 से भी अधिक हो सकती है। उन्होंने पीड़िताओं से भी अपील की कि अगर वे गोपनीय रूप से अपनी बात साझा करना चाहें तो टीम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सजग नागरिकों से भी इस संबंध में सूचना देने की अपील की।

क्लब 90 जैसे अड्डे रुकने चाहिए

प्रियांक कानूनगो ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस जांच में कुछ सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कम उम्र की लड़कियों को प्रभावित करने के लिए अपराधियों ने महंगी महंगी बाइक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमें अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि बाइक जब्त की गई है। एक अपराधी की प्रोफाइल बताई जा रही है कि वह ड्राइवर का बेटा था। ऐसे में सवाल यह है कि वह तीन लाख की बाइक कैसे खरीद कर चला रहा था। इस पैसे की ट्रेल पकड़ में आना चाहिए। क्या यह हवाला का मामला है या किसी प्रकार की मनी लॉड्रिंग का मामला है। यह सब जांच के बिन्दु पुलिस के होना चाहिए। इस संबंध में पुलिस से बात करेंगे। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि क्लब 90 अड्डा था। सरकार को ऐसे अड्डे रोकना चाहिए। यह पता चला है कि सरकार की ही एजेंसियों ने ही लाइसेंस देखकर ऐसी व्यवस्था खुलवाई थी। एक तालाब था, उसके किनारे एक तरफ नशा खोरी का अड्डा बना लिया है। जिसके नाम से क्लब का लाइसेंस था, उसका कंट्रोल नहीं था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Bhopal, 15.5.2025

Page No. 2, Size:(10.41)cms X (12.34)cms.

तीनों एसआईटी टीम, छात्राओं से बातचीत

लव-जिहादः मानवाधिकार आयोग ने फंडिंग पर SIT से लिया अपडेट

भोपाल | भोपाल में कॉलेज छात्राओं से सामने आए लव-जिहाद मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने शुरू कर दी। बुधवार को इस केस की तीनों एसआईटी को बुलाया गया। आयोग के सदस्यों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (आईओ) से अब तक हुई जांच का अपडेट लिया। पीड़िताओं से भी बात करने की जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों के पास से महंगी बाइक और महंगे गैजेट्स बरामद हुए थे। पुलिस ने फंडिंग वाले एंगल पर भी जांच की। इसमें अब तक क्या सामने आया। इसकी जानकारी भी पुलिस अधिकारियों से ली गई। आयोग की टीम गुरुवार तक शहर में है। उधर इस मामले में फरार छठवां आरोपी अबरार अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है।

STATESMAN, Bhubaneswar, 15.5.2025
Page No. 2, Size:(19.14)cms X (13.07)cms.

NHRC notice to Odisha and Jharkhand Governments over tribal land rights

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 14 MAY:

The tribal land alienation in Odisha and Jharkhand and its debilitating impact on the tribal settlers has come under National Human Rights Commission (NHRC)'s scanner with the apex rights panel seeking Action Taken Report (ATR) from the Governments of both the neighbouring States.

Acting on the petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy the NHRC passed the order and asked the Chief Secretaries of both the States to submit the report expeditiously within a period of 15 days.

The complainant had drawn attention to the issue of systemic exploitation through manipulation of land records, deforestation and large-scale displacement due to development projects, which according to the petition have stripped tribal communities of their primary livelihoods, cultural heritage and legal land rights.

The petitioner sought for the meaningful rehabilitation for affected tribal communities, impacted by the governmental measures.

"The Commission is of the considered view that the allegations leveled in the complaint are serious violations of the Human Rights of the victims", NHRC observed in the order.

The petitioner also requested the NHRC to make a comprehensive survey, research and make recommendations to the Government on the issues of Internal Displaced Persons

The petitioner further requested the NHRC to enact National Law on displacements, Tribal Land Alienation dealing with various categories of displacements and ensure implement the Tribal Policies in India.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Bhopal, 15.5.2025
Page No. 1, Size:(32.78)cms X (46.31)cms.

हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपितों के घर की महिलाओं की भूमिका पर सवाल

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने पुलिस से जांच करने को कहा, कार्रवाई पर असंतोष जताया
- कहा- लव जिहाद का अड्डा क्लब -90 के कमरों को तोड़ने से पहले फारेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए

राज्य ब्यूरो, नवदुनिया, भोपालः भोपाल में हिंदू लड़कियों से सुनियोजित तरह से दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के प्रकरण की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी शुरू कर दी है। बुधवार को आयोग की टीम सदस्य प्रियांक कानूनगो के नेतृत्व में भोपाल पहुंची और पुलिस के जांच अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछा। कहा कि मुख्य आरोपित फरहान खान की बहन जोया खान ने अपने मकान में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराया। यह बात सामने आने के बाद सभी आरोपितों के घरों की महिलाओं की भी इस प्रकरण में भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

जांच के दौरान आयोग के सदस्य कानूनगो ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उस विवादित रेस्टोरेंट- क्लब 90 पर हुई कार्रवाई

पर संदेह जताया, जहां हिंदू लड़कियों को आरोपित मुस्लिम युवक झांसा लेकर पहुंचा करते थे। कानूनगो ने पूछा कि क्ल-90 के छह कमरों को तोड़ने के पहले फारेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए गए? ऐसा करके क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? दरअसल, समझा जा रहा है कि रेस्टोरेंट-क्लब 90 के संचालन में शामिल रहे लोग इस गिरोह को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। यही वजह है कि नगर निगम से रेस्टोरेंट संचालन के लिए लेकर वह क्लब 90 में गेस्ट हाउस चला रहे थे और इस गेस्ट हाउस में उन्होंने अवैध रूप से छह कमरों का निर्माण करा लिया था। इसे ही पुलिस ने पिछले दिनों ध्वस्त करा दिया। टीम ने आरोपितों को फंडिंग और इसके लिए मनी लांड्रिंग की आशंका भी जाहिर की है। कानूनगो ने कहा कि प्रकरण में अगर शारिक मछली नाम के व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो पुलिस को उसकी भूमिका की जांच जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध में प्रयोग किए गए वाहनों को जब्त करने के साथ ही मकानों को भी सीज किया जाना चाहिए।

छात्राओं को नशा देकर दुष्कर्म किया, पीड़िताएं बोलीं- जान का खतरा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कानूनगो ने कहा कि हमारे पास अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में शिकायत आई थी कि कालेज में हिंदू लड़कियों को नशा दिया गया। फिर उनसे दुष्कर्म किया, वीडियो बनाए और उनको ब्लैकमेल किया। हमने इस मामले में भोपाल पुलिस को तत्काल कार्रवाई कर एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हमसे अलग-अलग पीड़िताओं ने संपर्क किया। पीड़िताओं का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। उनका पुनर्वास ठीक तरह से नहीं हो रहा है। सबसे अधिक गंभीर बात यह है कि दो पीड़िताएं अनाथ हैं। इन लड़कियों को धर्म के आधार पर निशाना बनाकर उनसे दुष्कर्म किया गया।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Indore, 15.5.2025
Page No. 7, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपितों के घर की महिलाओं की भूमिका पर सवाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल : भोपाल में हिंदू लड़कियों से सुनियोजित तरह से दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के प्रकरण की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी शुरू कर दी है। बुधवार को आयोग की टीम सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में भोपाल पहुंची और पुलिस के जांच अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछा। कहा कि मुख्य आरोपित फरहान खान की बहन जोया खान ने अपने मकान में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराया। यह बात सामने आने के बाद सभी आरोपितों के घरों की महिलाओं की भी इस प्रकरण में भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

जांच के दौरान आयोग के सदस्य कानूनगो ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उस विवादित रेस्टोरेंट-क्लब 90 पर हुई कार्रवाई पर संदेह जताया, जहां हिंदू लड़कियों को आरोपित मुस्लिम युवक झांसा लेकर पहुंचा करते थे।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची भोपाल
- क्लब 90 को तोड़ने से पहले क्यों नहीं लिए फारेंसिक साक्ष्य

कानूनगो ने पूछा कि क्लब 90 के छह कमरों को तोड़ने के पहले फारेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए गए? ऐसा करके क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? समझा जा रहा है कि रेस्टोरेंट- क्लब 90 के संचालन में शामिल रहे लोग इस गिरोह को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। यही वजह है कि नगर निगम से रेस्टोरेंट संचालन के लिए लेकर वह क्लब 90 में गेस्ट हाउस चला रहे थे और इस गेस्ट हाउस को उन्होंने अवैध रूप से छह कमरों का निर्माण करा लिया था। इसे ही पुलिस ने पिछले दिनों ध्वस्त करा दिया।

टीम ने आरोपितों को फंडिंग और इसके लिए मनी लांड्रिंग की आशंका भी जाहिर की है। आयोग के सदस्य कानूनगो ने कहा कि प्रकरण में अगर शारिक मछली नाम के व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो पुलिस को उसकी भूमिका की जांच जरूर करनी चाहिए। अपराध में प्रयोग किए गए वाहनों को जब्त करने के साथ ही मकानों को भी सीज किया जाना चाहिए।

NAI DUNIYA, Jabalpur, 15.5.2025
Page No. 7, Size:(21.85)cms X (30.88)cms.

हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपितों के घर की महिलाओं की भूमिका पर सवाल

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची भोपाल
- क्लब 90 को तोड़ने से पहले क्यों नहीं लिए फारेंसिक साक्ष्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल : भोपाल में हिंदू लड़कियों से सुनियोजित तरह से दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के प्रकरण की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी शुरू कर दी है। बुधवार को आयोग की टीम सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में भोपाल पहुंची और पुलिस के जांच अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछा। कहा कि मुख्य आरोपित फरहान खान की बहन जोया खान ने अपने मकान में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराया। यह बात सामने आने के बाद सभी आरोपितों के घरों की महिलाओं की भी इस प्रकरण में भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

जांच के दौरान आयोग के सदस्य कानूनगो ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उस विवादित रेस्टोरेंट-क्लब 90 पर हुई कार्रवाई पर संदेह जताया, जहां हिंदू लड़कियों को आरोपित मुस्लिम युवक झांसा लेकर पहुंचा करते थे। कानूनगो ने पूछा कि क्लब 90 के छह कमरों को तोड़ने के पहले फारेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए गए? ऐसा करके क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? समझा जा रहा है कि रेस्टोरेंट- क्लब 90 के संचालन में शामिल रहे लोग इस गिरोह को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। यही वजह है कि नगर निगम से रेस्टोरेंट संचालन के लिए लेकर वह क्लब 90 में गेस्ट हाउस चला रहे थे और इस गेस्ट हाउस को उन्होंने अवैध रूप से छह कमरों का निर्माण करा लिया था। इसे ही पुलिस ने पिछले दिनों ध्वस्त करा दिया।

टीम ने आरोपितों को फंडिंग और इसके लिए मनी लांड्रिंग की आशंका भी जाहिर की है। आयोग के सदस्य कानूनगो ने कहा कि प्रकरण में अगर शारिक मछली नाम के व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है तो पुलिस को उसकी भूमिका की जांच जरूर करनी चाहिए। अपराध में प्रयोग किए गए वाहनों को जब्त करने के साथ ही मकानों को भी सीज किया जाना चाहिए।

बता दें कि प्रकरण में अब तक 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी की थी।

नशा देकर दुष्कर्म किया, पीड़िताएं बोलीं- जान का खतरा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कानूनगो ने कहा कि हमारे पास अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में शिकायत आई थी कि कालेज में हिंदू लड़कियों को नशा दिया गया। फिर उनसे दुष्कर्म किया, वीडियो बनाए और उनको ब्लैकमेल किया। हमने इस मामले में भोपाल पुलिस को तत्काल कार्रवाई कर एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हमसे अलग-अलग पीड़िताओं ने संपर्क किया। पीड़िताओं का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। उनका पुनर्वास ठीक तरह से नहीं हो रहा है।

हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपितों के घर की महिलाओं की भूमिका की भी होगी जांच

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची भोपाल, पुलिस की कार्रवाई पर जताया असंतोष
- कहा, लव जिहाद का अड्डा बने क्लब के कमरे तोड़ने के पहले फोरेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल : भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ सुनियोजित दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू कर दी है। आयोग की टीम प्रियंग कानूनगो के नेतृत्व में बुधवार को भोपाल पहुंची और पुलिस से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपित फरहान खान की बहन जोया खान ने अपने मकान में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराया। यह बात सामने आने के बाद सभी आरोपितों के घरों की महिलाओं की भी इस प्रकरण में भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

कानूनगो ने लव जिहाद का अड्डा बने क्लब 90 (रेस्टोरेंट) पर हुई कार्रवाई पर संदेह जताया। उन्होंने पूछा कि उसके छह कमरों को तोड़ने से पहले फोरेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए गए। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। समझा जा रहा है कि क्लब 90 के संचालन में शामिल लोग गिरोह को संरक्षण दे रहे थे। नगर निगम से रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति लेकर क्लब 90 में गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था, जिसे अवैध रूप से बने छह कमरों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। टीम ने आरोपितों को फंडिंग और मनी लांड्रिंग की आशंका भी जताई है। कानूनगो ने कहा कि शारिक मछली नामक व्यक्ति की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अपराध में प्रयोग किए गए वाहनों को जब्त करने और मकानों को सीज करने की भी सिफारिश की।

कानूनगो ने कहा कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शिकायत मिली थी कि कालेज में हिंदू लड़कियों को नशा देकर दुष्कर्म किया गया।

हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपितों के घर की महिलाओं की भूमिका की भी होगी जांच

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची भोपाल, पुलिस की कार्रवाई पर जताया असंतोष
- कहा, लव जिहाद का अड्डा बने क्लब के कमरे तोड़ने के पहले फोरेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल : भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ सुनियोजित दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू कर दी है। आयोग की टीम प्रियंग कानूनगो के नेतृत्व में बुधवार को भोपाल पहुंची और पुलिस से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपित फरहान खान की बहन जोया खान ने अपने मकान में हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराया। यह बात सामने आने के बाद सभी आरोपितों के घरों की महिलाओं की भी इस प्रकरण में भूमिका की जांच की जानी चाहिए।

कानूनगो ने लव जिहाद का अड्डा बने क्लब 90 (रेस्टोरेंट) पर हुई कार्रवाई पर संदेह जताया। उन्होंने पूछा कि उसके छह कमरों को तोड़ने से पहले फोरेंसिक साक्ष्य क्यों नहीं लिए गए। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। समझा जा रहा है कि क्लब 90 के संचालन में शामिल लोग गिरोह को संरक्षण दे रहे थे। नगर निगम से रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति लेकर क्लब 90 में गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था, जिसे अवैध रूप से बने छह कमरों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। टीम ने आरोपितों को फंडिंग और मनी लांड्रिंग की आशंका भी जताई है। कानूनगो ने कहा कि शारिक मछली नामक व्यक्ति की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अपराध में प्रयोग किए गए वाहनों को जब्त करने और मकानों को सीज करने की भी सिफारिश की।

कानूनगो ने कहा कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शिकायत मिली थी कि कालेज में हिंदू लड़कियों को नशा देकर दुष्कर्म किया गया।

NHRC

NHRC, India’s coveted two-week online short- term internship programme on human rights begins

https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc-indias-coveted-two-week-online-short-term-internship-programme-human-rights

Press Release

National Human Rights Commission

New Delhi: 14th May, 2025

NHRC, India's coveted two-week online short- term internship programme on human rights begins

It enables students from far-flung and remote areas to participate in the programme without traveling to New Delhi

Secretary General, Shri Bharat Lal, urges students to serve as ambassadors of justice, equality, and dignity, reflecting India’s ethos of compassion

Out of 1,795 applicants from 21 States/ UTs, 80 students selected for the programme

The National Human Rights Commission (NHRC), India yesterday began its 2-week online short-term internship (OSTI) programme. 80 university-level students from diverse academic disciplines from 21 States and Union Territories have been shortlisted out of 1,795 applicants to participate in this programme. The two-week programme aims to provide a comprehensive understanding of the promotion and protection of human rights in the country.

NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal, in his address, said that youth are the torchbearers of India’s 5,000-year-old civilisational ethos of empathy, compassion and justice. He urged the students to serve as ambassadors of justice, equality, and dignity, and encouraged them to leverage this opportunity to understand India’s constitutional framework and advocate for human rights and dignity of all. He also urged them to focus on reflection over reaction and to make the best use of the opportunity to learn from experts as a means to discover life’s purpose. He also explained the rationale of this online programme to expand outreach and enable students from far flung and remote areas, who cannot travel to and stay at Delhi, to learn about various aspects of human rights. He appealed to these students to fully utilise the opportunity to take maximum benefit to equip themselves to protect and promote human rights.

He gave an overview of evolution of human rights in the country, constitutional provisions, role of Supreme Court in protection and promotion of human rights, working of NHRC, India's civilisational and cultural ethos to give refuge to persecuted people.

NHRC, India Joint Secretary, Shri Samir Kumar, gave an overview of the internship programme and meticulously designed curriculum. It includes lectures, team and individual competitions such as group research project presentation, book review and declamation competition and virtual tours of institutions such as Tihar Jail, which offer first-hand insights into the realities of human rights. Lt. Col Virender Singh is the Course Coordinator of the programme.

The online short-term internship programme is designed to equip students from diverse academic backgrounds with the knowledge and skills necessary to address human rights challenges. Through interactive sessions and engaging activities, interns will gain a deeper understanding of international human rights law, human rights issues specific to India, and effective advocacy strategies.

***

DD News

NHRC launches two-week online internship programme on human rights

https://ddnews.gov.in/en/nhrc-launches-two-week-online-internship-programme-on-human-rights/

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has commenced its much-anticipated two-week Online Short-Term Internship (OSTI) Programme aimed at equipping young minds with a deeper understanding of human rights promotion and protection in the country.

Out of a competitive pool of 1,795 applicants, 80 university-level students from varied academic backgrounds across 21 States and Union Territories have been selected to participate in the internship, the Commission announced in an official statement on Wednesday.

Inaugurating the programme, NHRC Secretary General Bharat Lal addressed the interns, emphasizing the importance of youth as torchbearers of India’s 5,000-year-old civilisational values of empathy, compassion, and justice. He encouraged the students to serve as ambassadors of justice, equality, and dignity, and to utilise this learning opportunity to explore India’s constitutional framework and the essence of human dignity.

Highlighting the rationale behind the online format, Bharat Lal explained that the initiative aims to widen the Commission’s outreach by enabling students from remote and far-flung regions to access quality education on human rights without the logistical challenges of travel and accommodation in Delhi.

He also provided an overview of the evolution of human rights in India, including constitutional provisions, the pivotal role of the Supreme Court, and NHRC’s own functioning and commitment to humanitarian values deeply embedded in India’s cultural heritage.

NHRC Joint Secretary Samir Kumar presented a detailed outline of the internship curriculum, which comprises expert lectures, group and individual competitions such as book reviews, declamations, and research presentations. The programme also includes virtual tours of institutions like Tihar Jail to provide practical exposure to real-life human rights scenarios.

Kashmir Convener

NHRC Launches Online Short-Term Internship on Human Rights

https://kashmirconvener.com/2025/05/14/nhrc-launches-online-short-term-internship-on-human-rights/

By Online Editor On May 14, 2025

New Delhi, May 14: The National Human Rights Commission (NHRC) of India has commenced its two-week Online Short-Term Internship (OSTI) programme, with 80 university-level students selected from a pool of 1,795 applicants across 21 States and Union Territories.

The internship is aimed at imparting foundational knowledge and insights into the promotion and protection of human rights in India.

In his inaugural address, NHRC Secretary General Shri Bharat Lal emphasized the importance of youth as carriers of India’s civilisational ethos rooted in empathy, compassion, and justice. He urged the interns to act as ambassadors of justice, equality, and dignity, and to seize the opportunity to deepen their understanding of the constitutional framework and human rights mechanisms in India.

Highlighting the rationale behind conducting the programme online, Shri Bharat Lal said it enhances accessibility for students from remote and far-flung areas who might otherwise be unable to travel to Delhi. “Reflection over reaction,” he advised, encouraging participants to introspect and engage meaningfully with the subject.

He also gave a historical and legal overview of human rights evolution in India, touching on constitutional guarantees, the role of the Supreme Court, and India’s long-standing tradition of providing refuge to persecuted communities.

Joint Secretary Shri Samir Kumar provided an overview of the meticulously designed curriculum, which includes expert lectures, virtual institutional visits (including to Tihar Jail), team and individual competitions, and interactive sessions. Participants will engage in activities like group research presentations, book reviews, and declamation contests, gaining practical insight into human rights issues and advocacy strategies.

Lt. Col. Virender Singh, who serves as the Course Coordinator, will guide the interns through the diverse and enriching programme.

This internship initiative continues NHRC’s mission to build awareness, sensitise future leaders, and strengthen the foundation of human rights culture among India’s youth.

Tathya

Online Learning On Rights

https://tathya.in/online-learning-on-rights/

By Tathya Correspondent - May 14, 2025

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC), India began its 2-week online short-term internship (OSTI) program. 80 university-level students from diverse academic disciplines from 21 States and Union Territories have been shortlisted out of 1,795 applicants to participate in this programme.

The two-week program aims to provide a comprehensive understanding of the promotion and protection of human rights in the country.

NHRC, India Secretary General, Bharat Lal, in his address, said that youth are the torchbearers of India’s 5,000-year-old civilisational ethos of empathy, compassion and justice.

He urged the students to serve as ambassadors of justice, equality, and dignity, and encouraged them to leverage this opportunity to understand India’s constitutional framework and advocate for human rights and dignity of all. He also urged them to focus on reflection over reaction and to make the best use of the opportunity to learn from experts as a means to discover life’s purpose.

He also explained the rationale of this online programme to expand outreach and enable students from far flung and remote areas, who cannot travel to and stay at Delhi, to learn about various aspects of human rights. He appealed to these students to fully utilise the opportunity to take maximum benefit to equip themselves to protect and promote human rights.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DEVDISCOURSE, Online, 15.5.2025

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Devdiscourse

NHRC India Launches Online Internship to Foster Youth Leadership in Human Rights

Shri Lal encouraged the students to move beyond reaction and focus on reflection, advocating for a deeper internalization of human rights principles.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3381634-nhrc-india-launches-online-internship-to-foster-youth-leadership-in-human-rights

Devdiscourse News Desk | Pretoria | Updated: 14-05-2025 21:59 IST | Created: 14-05-2025 21:59 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has launched a two-week Online Short-Term Internship (OSTI) Programme to foster awareness and leadership among youth in the realm of human rights. Commencing yesterday, the programme has drawn participation from 80 university-level students selected from an impressive pool of 1,795 applicants spanning 21 States and Union Territories. This diverse cohort comprises students from a wide array of academic disciplines, reflecting NHRC's commitment to nurturing a broad-based understanding of human rights among the country's youth.

Promoting Empathy, Equality and Justice through Youth Engagement

In his inaugural address, NHRC Secretary General, Shri Bharat Lal, emphasized the significant role of youth in perpetuating India's rich civilisational legacy rooted in empathy, compassion, and justice. He urged the interns to become ambassadors of constitutional values, promoting justice, equality, and dignity for all individuals.

Shri Lal encouraged the students to move beyond reaction and focus on reflection, advocating for a deeper internalization of human rights principles. He highlighted the rationale behind choosing the online mode for the internship — making the programme more inclusive and accessible to students from remote and underrepresented regions of India who may not have the resources to travel to Delhi.

He also offered an insightful overview of the evolution of human rights in India, delving into:

Key constitutional provisions safeguarding human rights

The critical role of the Supreme Court in upholding these rights

The working mechanisms and mandates of the NHRC

India's long-standing tradition of offering refuge to persecuted communities, showcasing the country's historical commitment to humanitarian values

Curriculum Designed for Engagement and Practical Understanding

NHRC Joint Secretary, Shri Samir Kumar, presented a detailed briefing on the structure and content of the internship. He highlighted the programme's meticulously crafted curriculum, which is designed to offer students both theoretical foundations and practical insights into human rights.

Key components of the curriculum include:

Expert-led lectures on international human rights law and India-specific human rights issues

Interactive sessions on advocacy, rights awareness, and law enforcement

Competitions and activities such as group research presentations, book reviews, and declamation contests

Virtual institutional tours, including an immersive tour of Tihar Jail, providing firsthand exposure to human rights conditions in correctional institutions

The programme is being coordinated by Lt. Col. Virender Singh, who brings a disciplined and structured approach to the internship, further enriching the learning experience.

Empowering Future Human Rights Advocates

The OSTI initiative underscores NHRC's mission to expand its educational outreach and empower students from all corners of the country with the tools and insights necessary to engage with pressing human rights challenges. By the end of the programme, participants are expected to develop:

A deeper understanding of human rights frameworks

Skills in advocacy, critical thinking, and policy analysis

A renewed sense of purpose and commitment to social justice

This online internship stands as a significant step in bridging the urban-rural gap in human rights education and ensuring that young voices from diverse backgrounds contribute meaningfully to India's democratic and humanitarian progress.

Odisha Diary

NHRC, India's coveted two-week online short- term internship programme on human rights begins

https://orissadiary.com/nhrc-indias-coveted-two-week-online-short-term-internship-programme-on-human-rights-begins/

By OdAdmin On May 14, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India yesterday began its 2-week online short-term internship (OSTI) programme. 80 university-level students from diverse academic disciplines from 21 States and Union Territories have been shortlisted out of 1,795 applicants to participate in this programme. The two-week programme aims to provide a comprehensive understanding of the promotion and protection of human rights in the country.

NHRC

एनएचआरसी, भारत द्वारा मानव अधिकारों पर प्रतिष्ठित दो सप्ताह के ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ

https://nhrc.nic.in/media/press-release/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%91%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली: 14 मई, 2025

एनएचआरसी, भारत द्वारा मानव अधिकारों पर प्रतिष्ठित दो सप्ताह के ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ

यह कार्यक्रम दूर-दराज और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को नई दिल्ली आए बिना कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम बनाता है

इस अवसर पर महासचिव, श्री भरत लाल ने छात्रों से न्याय, समानता और गरिमा के दूत के रूप में सेवा करने का आग्रह किया, जो भारत के करुणा के लोकाचार को दर्शाता है

इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1,795 आवेदकों में से 80 छात्रों को चुना गया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने कल अपना 2-सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 1,795 आवेदकों में से 80 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को चुना गया है। दो सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की व्यापक समझ प्रदान करना है।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यतागत भावना, सहानुभूति, करुणा और न्याय के पथ-प्रदर्शक हैं। उन्होंने छात्रों से न्याय, समानता और गरिमा के दूत के रूप में सेवा करने का आग्रह किया और उन्हें भारत के विधिसम्मत ढांचे को समझने और सभी के मानव अधिकारों और गरिमा का सम्मान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे प्रतिक्रिया के बजाय चिंतन पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन के उद्देश्य की खोज के साधन के रूप में विशेषज्ञों से सीखने के अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करें। उन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम के उद्देश्य को भी समझाया ताकि दूर-दराज और दूरस्थ के क्षेत्रों के छात्र, जो दिल्ली नहीं आ सकते और यहां नहीं रह सकते, मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीख सकें। उन्होंने छात्रों से मानव अधिकारों की संरक्षण और संवर्धन के लिए खुद को तैयार करने के लिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपील की।

उन्होंने देश में मानव अधिकारों के विकास, संवैधानिक प्रावधानों, मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, एनएचआरसी की कार्यप्रणाली, उत्पीड़ित लोगों को शरण देने के लिए भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक लोकाचार का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने इंटर्नशिप कार्यक्रम और तैयार किए गए पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इसमें व्याख्यान, टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं जैसे समूह शोध परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता और तिहाड़ जेल जैसे संस्थानों के वर्चुअल दौरे शामिल हैं, जो मानव अधिकारों की वास्तविकताओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक हैं।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों को मानव अधिकार चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुभव और कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पारस्परिक सत्रों और रुचिकर गतिविधियों के माध्यम से, प्रशिक्षु अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, भारत के लिए विशिष्ट मानव अधिकार मुद्दों और प्रभावी वकालत रणनीतियों की समझ हासिल करेंगे।

***

Insamachar

NHRC, भारत ने कल अपना 2-सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम शुरू किया

https://insamachar.com/nhrc-india-launched-its-2-week-online-short-term-internship-osti-programme-yesterday/

Editor Posted on14 मई 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने कल अपना 2-सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न शैक्षणिक विषयों के विश्वविद्यालयीन स्तर के 1,795 आवेदकों में से 80 छात्रों को चुना गया है। दो सप्ताह के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की व्यापक समझ प्रदान करना है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के महासचिव भरत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यतागत लोकाचार, सहानुभूति, करुणा और न्याय के पथ-प्रदर्शक हैं। उन्होंने छात्रों से न्याय, समानता और सम्मान के राजदूत के रूप में सेवा करने का आग्रह किया और उन्हें भारत के संवैधानिक ढांचे को समझने और सभी के मानवाधिकारों और सम्मान की वकालत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों से प्रतिक्रिया पर चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन के उद्देश्य की खोज के साधन के रूप में विशेषज्ञों से सीखने के अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम के उद्देश्य को भी समझाया ताकि दूरदराज के क्षेत्रों के वे छात्र, जो दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकते और यहां नहीं रह सकते, मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीख सकें। उन्होंने छात्रों से मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए खुद को तैयार करने के लिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपील की।

उन्होंने देश में मानवाधिकारों के विकास, संवैधानिक प्रावधानों, मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली, सताए गए लोगों को शरण देने के लिए भारत की सभ्यतागत और सांस्कृतिक प्रकृति पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने इंटर्नशिप कार्यक्रम और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पाठ्यक्रम का अवलोकन दिया। इसमें व्याख्यान, टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं जैसे समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता और तिहाड़ जेल जैसे संस्थानों के आभासी दौरे शामिल हैं, जो मानवाधिकारों की वास्तविकताओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक हैं।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों को मानवाधिकार चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंटरेक्टिव सत्रों और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षुओं को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, भारत के लिए विशिष्ट मानवाधिकार मुद्दों और प्रभावी वकालत रणनीतियों की गहरी समझ हासिल होगी।

KalingaTV

NHRC invites entries for its 11th annual competition for short films on human rights

The last date to receive the entries is 31st August, 2025.

https://kalingatv.com/nation/nhrc-invites-entries-for-its-11th-annual-competition-for-short-films-on-human-rights/

By Himanshu | Last updated May 14, 2025

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC), India, has invited entries for its 11th annual competition for short films on human rights. The last date to receive the entries is 31st August, 2025. The winning entries will be awarded.

The Short Film Awards scheme was instituted by the Commission in 2015. The scheme aims to encourage and acknowledge the cinematic and creative efforts of Indian citizens, irrespective of their age, towards promoting and protecting human rights.

The short films may be in English or any Indian language, with subtitles in English. The duration of the short film should be a minimum of 3 minutes and a maximum of 10 minutes.

The films could be documentary, dramatisation of real stories, or a work of fiction made in any technical format, including animation, within the ambit of various socio-economic, cultural, and political rights based on the following themes:

There is no entry fee or bar on the number of entries an individual can send to participate in the contest. However, the participants must send each film separately with a duly filled-in entry form. The terms & conditions, along with the entry form, can be downloaded from the NHRC website: www.nhrc.nic.in or the link: Click here.

The film, a duly filled-in entry form, and other requisite documents may be sent using Google Drive at nhrcshortfilm[at]gmail[dot]com. Any queries may also be sent to this email address. (Source: PIB)

Insamachar

NHRC ने मानवाधिकारों पर 11वीं वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की

https://insamachar.com/nhrc-invites-entries-for-11th-annual-short-film-competition-on-human-rights/

Editor Posted on 14 मई 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानवाधिकारों पर अपनी 11वीं वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 है। विजेता प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आयोग द्वारा लघु फिल्म पुरस्कार योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए भारतीय नागरिकों के सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और मान्यता देना है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से पिछली सभी प्रतियोगिताओं में जबरदस्त रुचि देखने को मिली।

लघु फिल्में अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती हैं, जिनमें अंग्रेजी में सबटाइटल होंगे। लघु फिल्म की अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट होनी चाहिए। फिल्में डॉक्यूमेंट्री, वास्तविक कहानियों का नाट्य रूपांतरण या एनीमेशन सहित किसी भी तकनीकी प्रारूप में बनाई गई काल्पनिक कृति हो सकती हैं, जो निम्नलिखित विषयों पर आधारित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के दायरे में हो:

- जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार
- बंधुआ और बाल श्रम, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित विशिष्ट मुद्दे
- बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्याओं के संदर्भ में उनके अधिकार
- दिव्यांगजनों के अधिकार
- मैनुअल स्कैवेंजिंग, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार
- मौलिक स्वतंत्रता के मुद्दे
- मानव तस्करी
- घरेलू हिंसा
- पुलिस अत्याचारों के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन
- हिरासत में हिंसा और यातना
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएं
- खानाबदोश और गैर-अनुसूचित जनजातियों के अधिकार

• जेल सुधार

• शिक्षा का अधिकार

• पृथ्वी ग्रह पर जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय जोखिम सहित स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

• काम का अधिकार

• कानून के समक्ष समानता का अधिकार

• भोजन और पोषण सुरक्षा का अधिकार

• एलजीबीटीक्यूआई इत्यादि के अधिकार

• मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापन के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन

• भारतीय विविधता में मानव अधिकारों और मूल्यों का जश्न

• जीवन और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली विकास संबंधी पहल आदि।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भेजी जा सकने वाली प्रविष्टियों की संख्या पर कोई प्रवेश शुल्क या प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, प्रतिभागियों को प्रत्येक फिल्म को विधिवत भरे हुए प्रविष्टि फार्म के साथ अलग से भेजना होगा। प्रविष्टि फॉर्म के साथ नियम और शर्तें एनएचआरसी की वेबसाइट: www.nhrc.nic.in या लिंक: यहां क्लिक करें से डाउनलोड की जा सकती हैं ।

फिल्म, विधिवत भरा हुआ प्रवेश फॉर्म और अन्य आवश्यक दस्तावेज Google Drive का उपयोग करके nhrcshortfilm[at]gmail[dot]com पर भेजे जा सकते हैं। कोई भी पूछताछ इस ईमेल पते पर भी भेजे जा सकते हैं।

Univarta

मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित

https://www.univarta.com/entries-invited-for-human-rights-commission-s-short-film-competition/india/news/3463734.html

भारत Posted at: May 14 2025 7:56PM

नयी दिल्ली, 14 मई (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विभिन्न श्रेणियों में मानवाधिकारों पर श्रेष्ठ लघु फिल्मों को पुरस्कृत करने की 11वीं वार्षिक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं। आयोग की बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रतिभागी आगामी 31 अगस्त तक प्रविष्टियां आयोग के विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। इन्हें आयोग की वेबसाइट के से प्रस्तुत किया जा सकता है।

Free Press Journal

Bhopal Rape And Blackmailing Case: NHRC Team Begins Probe, Flags Lapses In Police Investigation

Team visits pvt college, records victims' statement, reviews safety measures at the institute

https://www.freepressjournal.in/bhopal/bhopal-rape-and-blackmailing-case-nhrc-team-begins-probe-flags-lapses-in-police-investigation

Staff Reporter Updated: Wednesday, May 14, 2025, 10:07 PM IST

Bhopal (Madhya Pradesh): A three-member team of the National Human Rights Commission (NHRC), headed by Priyank Kanungo, begun its investigation into the rape and blackmailing of girl students of a private college, The case surfaced on April 18 and five people including the kingpin of the racket have been arrested.

On Wednesday, the team visited the college involved, and questioned the authorities regarding the case. The NHRC members also reviewed the safety measures taken by the management for students. The team also met some of the victims and recorded their statements.

Dissatisfied with the police investigation so far, the NHRC team has advised the officers to probe certain aspects of the case to help uncover the larger racket.

The NHRC team, which arrived on Tuesday, is expected to submit its report and recommendations after two days.

Speaking to media persons, Kanungo stated that the NHRC had received complaints that a group of Hindu girl students at the college were targeted, sexually abused, and forced into drug addiction. They were reportedly blackmailed with private videos and forced into religious conversions, he added.

The probe team member further said that some victims have come forward, but it is suspected that their number may cross a dozen. “Any other victim or citizen who wants to share information about the case may approach the NHRC team, the member said.

He further stressed the need for police to probe the funding sources of the accused, pointing that they were using expensive bikes and spending lavishly on the victims to lure them.

“The police should seize their bikes and trace the money trail to examine possibilities of money laundering and hawala transactions. It has also come to light that Club 90, located near the college, was a student hangout where drugs were used.

However, the police failed to collect evidence from its six cabins before they were demolished,” Kanungo said. Kanungo also raised questions on the role of local police for its failure to take action against the Club.

He also claimed that some locals were involved in college admissions in exchange for cash and influencing students.

NHRC team has included certain points in its two-day probe to present a clearer picture of the case, he said.

Notably, police have so far arrested five people in the case including the prime accused Farhan Khan and Ali while the sixth accused Abrar remains at large.

HANS INDIA, Online, 15.5.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

The Hans India

MP: Hindu girl students sexually exploited, says NHRC

https://www.thehansindia.com/news/national/mp-hindu-girl-students-sexually-exploited-says-nhrc-971156

IANS | 14 May 2025 5:08 PM IST

HIGHLIGHTS Member of the National Human Rights Commission (NHRC) Priyank Kanoongo said on Wednesday that Hindu girls were being deliberately targeted and sexually exploited in Bhopal.

Bhopal: Member of the National Human Rights Commission (NHRC) Priyank Kanoongo said on Wednesday that Hindu girls were being deliberately targeted and sexually exploited in Bhopal. Kanoongo's comments came against the backdrop of a high-profile racket of an alleged nexus of love jihad in Bhopal that was busted a few weeks ago, wherein nearly half a dozen girls students of a private engineering college complained that they were sexually exploited by a group of the Muslim community.

He informed that upon receiving information, a team of NHRC arrived in Bhopal to investigate the matter, adding that the NHRC team would carry out an investigation for two days in Bhopal. He said that half a dozen victims have complained, but the number of victims is expected to increase.

“NHRC would request the victims and their parents to come forward to lodge complaints, while their identity would not be revealed. We had received the complaint, and a preliminary investigation revealed that Hindu girl students were being targeted and were being sexually abused. The accused persons not only sexually exploited them but also videographed, served intoxication and forced them to convert their religion,” Kanoongo told IANS.

Kanoongo further stated that there are several aspects on which an investigation need to be done, adding that the NHRC team would make the entire thing very clear in the next two days.

Meanwhile, he also questioned on Bhopal Police, saying what surprising that the local area police station was located hardly 500 meters away from the college, but the police did not take any action.

"Crime was operating in the city, but the Bhopal Police was sitting quietly. I also have doubts that some evidences were destroyed by the police during their investigation. We will investigate it thoroughly and come out with a concrete report in the next two days," he added.

Notably, after the shocking incident came into the fore a few weeks ago, the Madhya Pradesh government set up a Special Investigation Team (SIT) of senior police officials to investigate the matter.

So far, five accused have been arrested for allegedly raping girl students by hiding their identities and blackmailing them by making videos.

The main accused in the case, Farhan Ali, was arrested on May 3 in Bhopal.

Navbharat Times

`हिंदू लड़कियों का जानबूझकर किया जा रहा शोषण', भोपाल लव जिहाद केस में जांच करने आई NHRC का बड़ा खुलासा

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/nhrc-entry-in-bhopal-love-jihad-case-team-will-investigate-2-days-said-hindu-girl-students-exploited-invste-mp-news/articleshow/121165966.cms

Edited by संजय चतुर्वेदी | आईएएनएस14 May 2025, 8:11 pm

Subscribe

Bhopal Love Jihad Case: भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ हुए लव जिहाद मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। एनएचआरसी के प्रियांक कानूनगो ने कहा कि जानबूझकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। एनएचआरसी की टीम जांच करने भोपाल आई है।

भोपालः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया था। इसमें जांच शुरू होने के बाद आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एंट्री हुई है। टीम भोपाल पहुंचकर 2 दिन जांच करेगी। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बुधवार को एक गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिंदू लड़कियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है।

दरअसल, भोपाल में कुछ सप्ताह पहले लव जिहाद का भंडाफोड़ हुआ था। जिसमें हाई प्रोफाइल रैकेट की भूमिका सामने आई थी। अब इस मामले जांच करने के लिए मानव अधिकार आयोग की टीम भोपाल आई है। लव जिहाद के मामले में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की लगभग छह छात्राओं ने शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के एक समूह ने उनका यौन शोषण किया है।

भोपाल पहुंची एनएचआरसी टीम

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि हमें संगठित अपराध के एक गंभीर मामले की जानकारी मिली है। इसमें तस्करी शामिल है, जिसमें खास तौर पर हिंदू छात्राओं को निशाना बनाया गया, उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया और रैगिंग की आड़ में बहका कर यौन शोषण किया गया।

वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

कानूनगो ने आगे कहा उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए। बाद में उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के लिए किया गया। यह शिकायत मिली थी, हमारी टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन को लेकर कोई फंड कर रहा होगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

बढ़ सकती है पीड़िताओं की संख्या

कानूनगो ने बताया कि अभी तक छह पीड़ित लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन पीड़ितों की संख्या और भी बढ़ सकती है। कानूनगो ने कहा, 'एनएचआरसी पीड़ितों और उनके माता-पिता से अनुरोध करेगा कि वे शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आएं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

कानूनगो ने आगे कहा कि कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। NHRC की टीम अगले दो दिनों में पूरी बात स्पष्ट कर देगी। इस बीच, उन्होंने भोपाल पुलिस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन कॉलेज से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

पुलिस पर साधा निशाना

कानूनगो ने कहा कि शहर में अपराध हो रहा था, लेकिन भोपाल पुलिस चुपचाप बैठी रही। मुझे यह भी संदेह है कि पुलिस ने जांच के दौरान कुछ सबूत नष्ट कर दिए। हम इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे और अगले दो दिनों में एक ठोस रिपोर्ट लेकर आएंगे।

गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले इस चौंकाने वाली घटना के सामने आने के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था। साथ ही अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर और वीडियो बनाकर छात्राओं का बलात्कार किया और उन्हें ब्लैकमेल किया। इस मामले के मुख्य आरोपी, फरहान अली को 3 मई को भोपाल में गिरफ्तार किया गया था।

Janta Se Rishta

हिंदू छात्राओं का यौन शोषण किया जा रहा है: NHRC

https://jantaserishta.com/local/madhya-pradesh/hindu-girl-students-sexually-exploited-says-nhrc-4012396

May 14, 2025

Bhopal भोपाल : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बुधवार को कहा कि भोपाल में हिंदू लड़कियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनका यौन शोषण किया जा रहा है।कानूनगो की यह टिप्पणी भोपाल में कथित लव जिहाद के एक हाई-प्रोफाइल रैकेट की पृष्ठभूमि में आई है, जिसका कुछ सप्ताह पहले भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की करीब आधा दर्जन छात्राओं ने शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के एक समूह द्वारा उनका यौन शोषण किया गया।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर एनएचआरसी की एक टीम मामले की जांच करने के लिए भोपाल पहुंची, उन्होंने कहा कि एनएचआरसी की टीम भोपाल में दो दिनों तक जांच करेगी।उन्होंने कहा कि आधा दर्जन पीड़ितों ने शिकायत की है, लेकिन पीड़ितों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

कानूनगो ने आईएएनएस से कहा, "एनएचआरसी पीड़ितों और उनके अभिभावकों से अनुरोध करेगा कि वे शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आएं, जबकि उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। हमें शिकायत मिली थी और प्रारंभिक जांच में पता चला कि हिंदू छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा था और उनका यौन शोषण किया जा रहा था। आरोपी व्यक्तियों ने न केवल उनका यौन शोषण किया, बल्कि वीडियोग्राफी भी की, नशा परोसा और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया।" यह भी पढ़ें - हीटवेव पर एनएचआरसी की राज्यों को सलाह कानूनगो ने आगे कहा कि ऐसे कई पहलू हैं जिन पर जांच की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि एनएचआरसी की टीम अगले दो दिनों में पूरी बात स्पष्ट कर देगी। इस बीच, उन्होंने भोपाल पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि स्थानीय क्षेत्र का पुलिस स्टेशन कॉलेज से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी पढ़ें - एनएचआरसी ने पहलगाम हमले की निंदा की, निर्दोष नागरिकों की हत्याओं से 'बहुत व्यथित'

उन्होंने कहा, "शहर में अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन भोपाल पुलिस चुपचाप बैठी रही। मुझे यह भी संदेह है कि पुलिस ने अपनी जांच के दौरान कुछ सबूत नष्ट कर दिए हैं। हम इसकी गहन जांच करेंगे और अगले दो दिनों में एक ठोस रिपोर्ट पेश करेंगे।"

गौरतलब है कि कुछ सप्ताह पहले इस चौंकाने वाली घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की थी।अब तक पांच आरोपियों को पहचान छिपाकर छात्राओं से कथित तौर पर बलात्कार करने और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।इस मामले के मुख्य आरोपी फरहान अली को 3 मई को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था।

News Nation

प्रियंक कानूनगो ने भोपाल लव जिहाद मामले में कहा, `जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई होगी’

https://www.newsnationtv.com/--20250514093624/

IANS | 14 May 2025 10:05 IST

भोपाल,14 मई (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां हिंदू छात्राओं को टारगेट कर पहले उनका यौन शोषण किया गया। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और फिर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। लव जिहाद के मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भोपाल पहुंच चुकी है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि हमारी टीम जांच के लिए पहुंची है अगले दो दिन हम जांच करेंगे, जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, हमें संगठित अपराध के एक गंभीर मामले की जानकारी मिली है। इसमें तस्करी शामिल है, जिसमें खास तौर पर हिंदू छात्राओं को निशाना बनाया गया, उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया और रैगिंग की आड़ में बहका कर यौन शोषण किया गया। उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए और बाद में उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के लिए किया गया। यह शिकायत मिली थी, हमारी टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन को लेकर कोई फंड कर रहा होगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी थी किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “भोपाल में रेगिंग के नाम पर लक्षित कर हिंदू छात्राओं को ग्रूम करके यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो बना कर धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेल करने के लोमहर्षक कांड की शिकायत की जांच करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच टीम भोपाल पहुंच गई है। टीम अगले 2 दिन तथ्यों की जांच करेगी। इस मामले में कोई भी पीड़ित अथवा सजग नागरिक यदि कोई जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं।“ बता दें कि भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ लव जिहाद और गैंगरेप का मामला सुर्खियों में है। 18 अप्रैल को इस मामले में एक पीड़िता की शिकायत पर खुलासा हुआ। इसके बाद से लगातार खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि कॉलेज में 6 मुस्लिम लड़कों ने एक गिरोह बनाया हुआ था, जो हिंदू लड़कियों को पहले अपने प्रेमजाल में फंसाते थे, फिर उनका रेप कर वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल कर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे।

--आईएएनएस

डीकेएम/केआर

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

BANSAL NEWS, Online, 15.5.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Bansal News

Bhopal Love Jihad Case Update: मानवाधिकार आयोग की टीम ने पुलिस की अधूरी जांच पर उठाए सवाल, कॉलेज, क्लब 90 भी जाएगी टीम

भोपाल के निजी कॉलेज में लव जिहाद, रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले के मुख्य आरोपी फरहान खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर इस मामले में राष्ट्रीय मानव आयोग की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है।

https://bansalnews.com/bhopal-love-jihad-hindu-girls-gang-rape-blackmailing-case-wks/

by sanjay warude | May 14, 2025-11:22 AM

हाइलाइट्स

लव जिहाद रेप व ब्लैकमेलिंग केस में 6 आरोपी

राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने जांच पूरी

अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच

Bhopal Hindu Girl Students Love Jihad Rape Case Update: भोपाल के एक निजी कॉलेज (Private College) में सामने आए लव जिहाद और रेप केस में आरोपी फरहान खान (Farhan Khan) को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया है। साथ ही अब मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आयोग की टीम ने पुलिस की शुरूआती जांच पर सवाल उठाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को जांच में पुलिस कार्रवाई में कुछ कमियां मिली हैं। आयोग की टीम ने पुलिस की शुरूआती जांच पर सवाल उठाए। जांच टीम ने कहा कि मामले की जांच अधूरी है। टीम 2 दिन तक राजधानी में जांच करेगी। निजी कॉलेज (Private College), कल्ब 90 (Club 90) भी जाएगी। आयोग की जांच में जो सामने आएगा उस आधार नई एफआईआर (FIR) भी दर्ज की जा सकती है।

आरोपियों को हुई फंडिंग के सोर्स की जांच होगी

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो (Priyank Kanungo) ने मदरसों (Madrasa) के भूमिका पर भी सवाल उठाए। कानूनगो बोले बगैर फॉरेंसिक जांच और सबूत इकट्ठा किए निर्माण को ढहा देना पागलपन। आरोपियों का बैक ग्राउंड और उनके परिवार से पूछताछ नहीं की गई। आरोपी जिस तरह की लग्जरी लाइफ जीते थे महंगी गाड़ियां यूज करते थे, इनके पीछे कौन है। आयोग की टीम आरोपियों को हो रही फंड़िग और इसके सोर्स की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी।

VC से हुई आरोपी फरहान की पेशी

आरोपी फरहान की 13 मई को न्यायिक हिरासत पूरी हो गई थी। उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन पॉक्सो कोर्ट (poxo court) की जज नीलम मिश्रा (Judge Neelam Mishra) छुट्टी पर थीं, इसलिए पेशी

विशेष न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी (Special Judge Pallavi Dwivedi) की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए कराई गई। कोर्ट ने उसे 26 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है।

पॉक्सो एक्ट में भी चल रहा केस

फरहान पर नाबालिग (minor) से रेप (Rape) और ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) जैसे संगीन आरोप हैं, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत भी उस पर केस चल रहा है। इससे पहले, बागसेवनिया पुलिस (Bagsevania Police) की पूछताछ के बाद, उसे 30 अप्रैल को हिरासत में भेजा गया था।

मानवाधिकार आयोग की टीम भोपाल में

दिल्ली (Delhi) से आई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) की टीम मंगलवार शाम भोपाल (Bhopal) पहुंच गई है। टीम के सदस्य प्रियंक कानूनगो (Priyank Kanungo) ने बताया कि वे बुधवार और गुरुवार को कई पहलुओं पर जांच करेंगे। टीम यह भी देखेगी कि आरोपियों को कहां से फंडिंग (funding) मिल रही थी, इसकी जांच में पुलिस कितनी आगे बढ़ी है।

केस का छठवां आरोपी अब भी फरार

अशोका गार्डन पुलिस (Ashoka Garden Police) 6 मई को मुख्य आरोपी फरहान खान (Farhan Khan), नबील खान (Nabeel Khan) और अली (Ali) को जेल भेजे चुकी है। जहांगीराबाद पुलिस (Jahangirabad Police) ने आरोपी साहिल और साद से पूछताछ की। अबरार अब तक फरार चल रहा है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Online, 15.5.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Dainik Bhaskar

लव-जिहाद:मानवाधिकार आयोग ने फंडिंग पर SIT से लिया अपडेट

https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/human-rights-commission-took-update-from-sit-on-funding-135028684.html

भोपाल3 घंटे पहले

भोपाल में कॉलेज छात्राओं से सामने आए लव-जिहाद मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने शुरू कर दी। बुधवार को इस केस की तीनों एसआईटी को बुलाया गया। आयोग के सदस्यों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (आईओ) से अब तक हुई जांच का अपडेट लिया। पीड़िताओं से भी बात करने की जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों के पास से महंगी बाइक और महंगे गैजेट्स बरामद हुए थे।

पुलिस ने फंडिंग वाले एंगल पर भी जांच की। इसमें अब तक क्या सामने आया। इसकी जानकारी भी पुलिस अधिकारियों से ली गई। आयोग की टीम गुरुवार तक शहर में है। उधर इस मामले में फरार छठवां आरोपी अबरार अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है।

Deccan Chronicle

Anudeep Durishetty Orders Magisterial Probe Into Convict’s Death In Hyderabad

https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telangana/anudeep-durishetty-orders-magisterial-probe-into-convicts-death-in-hyderabad-1878763

M Srinivas | 14 May 2025 12:34 PM IST

The convict died while undergoing treatment at Gandhi hospital on March 19, 2025.

Hyderabad: Hyderabad Collector Anudeep Durishetty has ordered a magisterial probe into the death of convict Dana Sani Mallesh alias Podium Mallesh while undergoing treatment at Gandhi hospital on March 19, 2025.

The National Human Rights Commission (NHRC) Deputy Registrar has informed that the Commission has received intimation regarding the custodial death of 37-year-old Sani Mallesh, who was the prisoner 7078, at the Gandhi hospital.

The G.O.Ms.No.51 Home department dated February 2, 2003 stipulates that in case of death of an undertrial prisoner or one serving sentence, even in a hospital, the inquest, postmortem, and a magisterial inquiry has to be done.

As per the government order, the Hyderabad Collector ordered a magisterial inquiry.

Janta Se Rishta

अनुदीप दुरीशेट्टी ने Hyderabad में दोषी की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए

https://jantaserishta.com/local/telangana/anudeep-durishetty-orders-magisterial-probe-into-death-of-convict-in-hyderabad-4011845

Triveni14 May 2025 3:55 PM

Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद Hyderabad कलेक्टर अनुदीप दुरीशेट्टी ने 19 मार्च, 2025 को गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दोषी दाना सानी मल्लेश उर्फ पोडियम मल्लेश की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया है कि आयोग को गांधी अस्पताल में कैदी 7078 37 वर्षीय सानी मल्लेश की हिरासत में मौत के बारे में सूचना मिली है। गृह विभाग के 2 फरवरी, 2003 के जीओएम संख्या 51 में यह प्रावधान है कि अस्पताल में भी विचाराधीन कैदी या सजा काट रहे कैदी की मौत के मामले में जांच, पोस्टमार्टम और मजिस्ट्रेट जांच की जानी चाहिए। सरकारी आदेश के अनुसार, हैदराबाद कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।

The Statesman

NHRC issues notice to Odisha and Jharkhand governments over tribal land rights

Acting on a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order and asked the Chief Secretaries of both states to submit the report expeditiously within 15 days.

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-issues-notice-to-odisha-and-jharkhand-governments-over-tribal-land-rights-1503432696.html

Statesman News Service | Bhubaneswar | May 14, 2025 8:46 pm

The tribal land alienation in Odisha and Jharkhand and its debilitating impact on the tribal settlers has come under the National Human Rights Commission (NHRC)'s scanner, with the apex rights panel seeking an Action Taken Report (ATR) from the governments of both the neighbouring states.

Acting on a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order and asked the Chief Secretaries of both states to submit the report expeditiously within 15 days.

The complainant had drawn attention to the issue of systemic exploitation through manipulation of land records, deforestation, and large-scale displacement due to development projects, which, according to the petition, have stripped tribal communities of their primary livelihoods, cultural heritage, and legal land rights.

The petitioner sought meaningful rehabilitation for affected tribal communities, impacted by the governmental measures.

"The Commission is of the considered view that the allegations levelled in the complaint are serious violations of the human rights of the victims," NHRC observed in the order.

The petitioner also requested the NHRC to make a comprehensive survey, research, and recommendations to the government on the issues of internally displaced persons.

The petitioner further requested the NHRC to enact a national law on displacements and tribal land alienation to address various categories of displacements and to ensure the implementation of tribal policies in India.

Free Press Journal

Mumbai Crime News: Govandi Residents Seek Judicial & Departmental Inquiry After Senior Shivaji Nagar Officer Is Held For Bribery

In a major crackdown on corruption within the police force, Mumbai ACB arrested Sr.PI Bapurao Madhukar Deshmukh (57), head of the Shivaji Nagar police station, on Tuesday night. He was caught red-handed accepting a bribe of Rs 1 lakh from a school trustee at the police station.

https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-crime-news-govandi-residents-seek-judicial-departmental-inquiry-after-senior-shivaji-nagar-officer-is-held-for-bribery

Dhairya Gajara Updated: Wednesday, May 14, 2025, 03:31 PM IST

Mumbai: The residents of Govandi have demanded a judicial and departmental investigation into an alleged systematic corruption at Shivaji Nagar police station after its senior inspector, Bapurao Madhukar Deshmukh, was arrested by the Anti-Corruption Bureau (ACB) for accepting a bribe on Tuesday.

About The Case

In a major crackdown on corruption within the police force, Mumbai ACB arrested Sr.PI Bapurao Madhukar Deshmukh (57), head of the Shivaji Nagar police station, on Tuesday night. He was caught red-handed accepting a bribe of Rs 1 lakh from a school trustee at the police station. This amount was reportedly part of a bigger bribe amount of Rs 2.5 lakh that he had allegedly demanded for providing police protection and assistance in a legal matter.

Concerned Citizens of Govandi, a citizens' action group, has demanded a thorough investigation into the Shivaji Nagar police station's working during Deshmukh's tenure. Residents alleged that several offences were lodged falsely or selectively, influenced by bribes or personal gain. Innocent citizens were allegedly harassed, falsely implicated, and denied fair trial rights, leading to serious violations of the right to equality and the right to life, alleged the citizens.

On Wednesday, the residents wrote to the Mumbai Police Commissioner, Maharashtra Home Department, Director General of ACB, National Human Rights Commission, Registrar (Judicial) of the Hon'ble Bombay High Court, and the Lokayukta highlighting multiple demands. They demanded a thorough forensic audit of Deshmukh's call detail records (CDRs), WhatsApp logs, financial assets, and all communication with subordinate officers. They also sought a complete legal review of all FIRs registered during his tenure and discharge proceedings for victims of wrongful prosecution.

The citizens emphasised the urgent need for CCTV surveillance with audio-video recording at every operational point in the police station, weekly surprise audits by senior IPS officials, annual integrity audits for officers in high-sensitivity areas, and public disclosure of investigation findings under the RTI Act. They have also demanded that the

corrupt proceeds should be recovered and transferred to the Maharashtra Police Welfare and Infrastructure Development Fund.

Shaikh Faiyaz Alam of the citizens' group said, "This incident has sent shockwaves across the local community. This incident has exposed what citizens believe to be a deep-rooted system of corruption, extortion, and institutional failure within the local policing mechanism. This case highlights not just individual misconduct but a structural collapse of public trust in the law enforcement system. We demand urgent, transparent, and accountable action to restore faith in democratic policing."

Oneindia

MP News: हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह को क्यों बताया `सबसे डरा हुआ नेता',जानिए, मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप

https://hindi.oneindia.com/news/madhya-pradesh/hemant-katare-called-bhupendra-singh-bjp-scared-leader-in-mp-allegation-of-human-rights-violation-1293647.html

By Laxminarayan Malviya

Published: Wednesday, May 14, 2025, 14:22 [IST]

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। अटेर से कांग्रेस विधायक और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने खुरई विधायक व पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह पर सनसनीखेज हमला बोला है। भोपाल में अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटारे ने भूपेंद्र को 'मध्यप्रदेश का सबसे डरा हुआ नेता' करार देते हुए उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए।

यह मामला 12 साल के मासूम मानस शुक्ला के साथ हुई त्रासदी से जुड़ा है, जिसका हाथ भूपेंद्र के भतीजे लखन सिंह के अवैध क्रेशर के पास हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कट गया। कटारे का दावा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बार-बार निर्देश देने के बावजूद भूपेंद्र और उनके भतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे पीड़ित की मदद करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता पर FIR दर्ज कर दी गई। यह प्रकरण अब विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचने की राह पर है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानस की दर्दनाक दास्तां

भोपाल में हेमंत कटारे के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागर जिले के बारदा गांव निवासी 12 साल का मानस शुक्ला और खुरई के कांग्रेस नेता अंशुल परिहार मौजूद थे। मानस ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, "1 जनवरी 2025 को मैं और मेरे 5-6 दोस्त गांव से 2 किलोमीटर दूर चल रही भागवत कथा की जल यात्रा में शामिल होने गए थे। वापसी में हमें भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह के अवैध क्रेशर के पास लगे गिट्टी के ढेर से होकर गुजरना पड़ा। ढेर पर चढ़ते वक्त मेरा हाथ ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। मैं बेहोश हो गया। मेरे दोस्तों ने पापा को बुलाया। बीना अस्पताल से मुझे सागर रेफर किया गया, फिर एम्स भोपाल में मेरा हाथ काटना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, अगर हाथ नहीं काटा तो जान का खतरा है।"

मानस ने आगे कहा, "पांच महीने बीत गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस उनका साथ दे रही है। बीना थाने में दो महीने तक मेरी FIR नहीं लिखी गई। पापा ने घर के जेवर और जमीन गिरवी रखकर मेरा इलाज कराया। भूपेंद्र ने कभी हमसे मुलाकात नहीं की, न हाल पूछा। उल्टे, मेरी मदद करने वाले अंशुल भैया और उनके पिता पर FIR करा दी।"

कटारे का हमला 'भूपेंद्र डरे हुए नेता, पुलिस के पीछे छिपते हैं'

हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "मानस का हाथ कट गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन भूपेंद्र सिंह और उनके परिवार ने उसकी सुध नहीं ली। NHRC ने पांच महीनों में चार बार पत्र लिखकर भूपेंद्र और लखन सिंह पर कार्रवाई के निर्देश दिए। 8 अप्रैल को कलेक्टर और SP को तलब

किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे साफ है कि खुरई में भारतीय न्याय संहिता नहीं, 'भारतीय षडयंत्र संहिता' चल रही है।"

कटारे ने भूपेंद्र को 'सबसे डरा हुआ नेता' बताते हुए कहा, "जब खुरई के कांग्रेस कार्यकर्ता अंशुल परिहार ने मानस की मदद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भूपेंद्र ने नाराज होकर न केवल अंशुल, बल्कि उनके बुजुर्ग पिता पर भी 15 साल पुराने मामले में FIR दर्ज करा दी। यह साबित करता है कि भूपेंद्र हर संकट में पुलिस के पीछे दुबक जाते हैं। अगर हिम्मत है, तो मानस के परिवार से मिलें, उनकी मदद करें।"

Hemant Katare: NHRC की सख्ती, फिर भी कार्रवाई नहीं

कटारे ने बताया कि NHRC ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने चार बार पत्र लिखकर भूपेंद्र सिंह और लखन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 8 अप्रैल 2025 को सागर के कलेक्टर और SP को तलब किया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कटारे ने आरोप लगाया, "भूपेंद्र सिंह सत्ता के रसूख से पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। NHRC की सख्त टिप्पणियों से डरकर वे पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं।"

अंशुल पर FIR, 'सच बोलने की सजा'

कटारे ने अंशुल परिहार पर दर्ज FIR को 'सच बोलने की सजा' करार दिया। अंशुल ने खुरई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेंद्र के अवैध क्रेशर और मानस की त्रासदी को उजागर किया था। इसके जवाब में भूपेंद्र ने अंशुल और उनके पिता पर FIR दर्ज करा दी। कटारे ने तंज कसते हुए कहा, "भूपेंद्र सिंह कौन-सी तोप हैं कि उनके खिलाफ बोल नहीं सकते? हम सौ बार बोलेंगे। यह मध्यप्रदेश है, कोई तानाशाही नहीं।"

मानस का परिवार, 'गरीब को कुचलने की साजिश'

मानस के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "मैं हर महीने भूपेंद्र सिंह के घर गया। मुझे तीन-चार घंटे बिठाकर कहा गया कि 'भैया कहीं गए हैं।' पांच महीने में उन्होंने एक बार फोन तक नहीं किया। वे सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मेरी जमीन और जेवर बिक गए, लेकिन न्याय नहीं मिला।" मानस ने भारत सरकार से मांग की, "हमें इंसाफ चाहिए। भूपेंद्र और लखन सिंह पर कार्रवाई हो।"

Hemant Katare: कटारे की चेतावनी, 'हाईकोर्ट और विधानसभा में उठेगा मुद्दा'

कटारे ने इस मामले को विधानसभा और हाईकोर्ट तक ले जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "मैं मांग करता हूं कि NHRC के निर्देशों के मुताबिक भूपेंद्र और लखन सिंह पर कार्रवाई हो। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो हम विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे। हम हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। कोई कानून नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज हो।"

कटारे ने अंशुल और मानस से कहा, "न्यायालय जाएं, मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस और अफसरों को चेतावनी देता हूं कि आपके गलत कारनामों का दंड आज नहीं तो कल मिलेगा।"

भूपेंद्र सिंह की चुप्पी

वन इंडिया हिंदी ने भूपेंद्र सिंह का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि भूपेंद्र इस मामले पर जल्द बयान दे सकते हैं। कुछ BJP नेताओं ने इसे 'कांग्रेस की सियासी चाल' करार दिया।

कानूनी और नैतिक सवाल

NHRC के निर्देश: आयोग ने चार बार पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। सागर प्रशासन की चुप्पी क्या सत्ता के दबाव को दर्शाती है?

FIR का दुरुपयोग: अंशुल और उनके पिता पर दर्ज FIR को कटारे ने 'बदले की कार्रवाई' बताया। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है?

अवैध क्रेशर: लखन सिंह का क्रेशर अवैध रूप से चल रहा था। क्या प्रशासन इसकी जांच करेगा?

मानस का भविष्य: एक हाथ खो चुके मानस के इलाज और पुनर्वास के लिए सरकार क्या करेगी?

पृष्ठभूमि: भूपेंद्र सिंह का विवादों से नाता

भूपेंद्र सिंह मध्यप्रदेश की राजनीति में दिग्गज नाम हैं। पूर्व गृहमंत्री और परिवहन मंत्री रह चुके भूपेंद्र खुरई से लगातार विधायक हैं। लेकिन उनका नाम विवादों से भी जुड़ा रहा है:

जनवरी 2025: हेमंत कटारे ने भूपेंद्र पर RTO घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाया था।

मई 2025: अंजना मामले में उनकी भूमिका की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठी।

आगे क्या?

कानूनी लड़ाई: कटारे ने हाईकोर्ट में रिट दायर करने की बात कही। अगर मामला कोर्ट पहुंचा, तो भूपेंद्र और लखन सिंह पर दबाव बढ़ेगा।

विधानसभा में हंगामा: आगामी सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी।

NHRC की कार्रवाई: अगर प्रशासन जवाब नहीं देता, तो आयोग सख्त कदम उठा सकता है, जैसे अधिकारियों पर जुर्माना या जांच।

सियासी जंग: यह मामला BJP और कांग्रेस के बीच नई सियासी जंग छेड़ सकता है, खासकर सागर और खुरई में।